24/12/24 - पत्रावली पेश हुई। वादी अधि० उप०
प्रकरण साक्षीक आदेश में दिनांक 23/1/25
को पेश हो

Noted
23/1/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 3/2/25 को पेश हो।
आदेश से रीडर

3/2/25 - पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी अधि० उप०
प्रकरण साक्षीक आदेश में दिनांक 6/2/25
को पेश हो

6/2/25
पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 11/2/25 को पेश हो।
आदेश से रीडर

11/2/25 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप०। वादी अधिवक्ता द्वारा वादी की मृत्यु उपरान्त वादी के वैधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। पैरोकार मालकार द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादी की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके वैधिक वारिसान के के पक्ष में नामान्तरण दिनांक 15/7/2024 को स्वीकृत हो चुका है। वादी अधिवक्ता को वादी की मृत्यु होने के अधिकतम 90 दिवस की अवधि में आदेश 22 नियम 3 व्य.प्र.सं. में प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक था, परन्तु वादी द्वारा प्रार्थना पत्र नियत अवधि में पेश नहीं किये जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (अबेट) Abate हो जाने से खारिज किया जाता है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

11/2/2025
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. श्री नाना पिता ज्वारा तेली, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा। –– वादी

बनाम

1. श्री भैरूलाल पिता नन्दा तेली, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत् विभाजन कराया जाने कृषि आराजियात

प्रकरण संख्या 02/2017 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन, उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 11.02.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

वादी अधिवक्ता द्वारा वादी की मृत्यु उपरान्त वादी के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड अनुसार वादी की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके विधिक वारिसान के पक्ष में नामान्तकरण दिनांक 15.07.2024 को स्वीकृत हो चुका है। वादी अधिवक्ता को वादी की मृत्यु होने के अधिकतम 90 दिवस की अवधि में आदेश 22 नियम 03 जा0दी0 में प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक था। परन्तु वादी द्वारा प्रार्थना पत्र नियत अवधि में पेश नहीं किये जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (अबेट) Abate हो जाने से खारिज किया जाता है।

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा